18. **प्रमाण पत्रों का सत्यापन :**

आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा। इसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण पत्र/दस्तावेज, आवेदन पत्र के साथ, बुलाने पर लाना है। अतः यह सुनिश्चित करले कि :

(अ) मूल दस्तावेजों की जांच, प्रत्येक श्रेणी में प्राप्त अंकों की वरियता के आधार पर 1 : 1½ के अनुपात में ही की जावेगी।

(ब) सभी प्रमाण पत्र **On-line Application Form** भरने की अन्तिम दिनांक तक जारी किये हुए होने चाहिए। सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किये हुए होने चाहिए।

(स) पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमीलेयर/नॉन क्रिमीलेयर की प्रविष्टियां सही–सही एवं पूर्ण भरी होने चाहिए।

(द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता का प्रमाण पत्र/दस्तावेज On-line Application Form भरने की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र/दस्तावेज के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पद हेतु देय नही होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा।

(य) राजस्थान राज्य के पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के क्रिमीलेयर के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ देय नही है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को On-line Application Form में अनारक्षित श्रेणी के रूप में आवेदन करना होगा।

(र) पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र, नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दि0 01.01.2013 के पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए। पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित प्रमाण पत्र के अभाव में ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा। **पति की आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।**

(ल) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नही होगा। **पति के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।**

(व) निःशक्तजन को राजस्थान राज्य के किसी **राजकीय अस्पताल के गठित मेडिकल बोर्ड** द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण–पत्र, जिसमें निःशक्तजन की चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो, जारी किया हुआ होना चाहिए।

नोट : आवेदकों को परीक्षा में अन्तरिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नही है कि विभाग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता (candidature) अन्तिम रूप से सही मानली गई है। अभ्यर्थी की पात्रता की जांच मूल प्रलेखों से की जायेगी। जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया आदिम जाति/पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन/उत्कृष्ट खिलाडी/विधवा/परित्यक्ता एवं अन्य शर्तो आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस पद हेतु उसकी अभ्यर्थिता (candidature) किसी भी स्तर पर रद्द करदी जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी, स्वयं की होगी।

19. **विशेष टिप्पणी :**

(1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के संबंध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 48 घंटे में (2 दिवस के भीतर) अपना लिखित अभ्यावेदन **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** को प्रस्तुत कर दे। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी। 2 दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जायेगा।

(2) कोई भी परीक्षार्थी कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन/पर्स इत्यादि लेकर नही आएं। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पैन, पेन्सिल, प्रवेश पत्र या महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में लेजा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जप्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक की नही होगी।

(3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नही है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार/आवेदक के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(4) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स/केलकुलेटर सहित प्रतिबन्धित वस्तुएं साथ नही लावें क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नही की जा सकती।

(5) इन पदों पर भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाऐं कृषि विभाग/विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जावेगी।

(6) परीक्षा संबंधी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आवेदक **महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर** में व्यक्तिगत रूप से अथवा हेल्प लाईन नं0 0294–5150711, 5150712 या 5150713 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(अनिल कुमार चपलोत)
निदेशक कृषि
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती हेतु परीक्षा 2013–14 का पाठ्यक्रम

(कुल पूर्णांक 400)

भाग – I (पूर्णांक 60)

प्रश्नों की संख्या : 15

सामान्य हिन्दी

1. दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि–विच्छेद।
2. उपसर्ग एवं प्रत्यय–इनके संयोग से शब्द – संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक् करना, इनकी पहचान।
3. समस्त (सामासिक) पद् की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।
4. शब्द युग्मो का अर्थ भेद।
5. पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द।
6. शब्द शुद्धि – दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।
7. वाक्य शुद्धि – वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोडकर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणिक अशुद्धियों का शुद्धिकरण।
8. वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द।
9. पारिभाषिक शब्दावली – प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द।
10. मुहावरे – वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।
11. लोकोक्ति – वाक्यों में केवल सार्थक प्रयोग अपेक्षित है।

भाग – II (पूर्णांक 100)

प्रश्नों की संख्या : 25

राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति

1. राजस्थान की भौगोलिक संरचना – भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरूस्थल एवं फसलें।
2. राजस्थान का इतिहास – **सभ्यताएं** – कालीबंगा एवं आहड़

   प्रमुख व्यक्तित्व – महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव, महाराजा जसवंतसिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह–प्रथम, सवाई जयसिंह, बीकानेर के महाराजा गंगासिंह इत्यादि।

   राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाडी इत्यादि।
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण।
4. विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि, पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली।
5. कृषि, पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली।
6. लोक देवी–देवता – प्रमुख संत एवं सम्प्रदाय।
7. प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले – पशुमेले।
8. राजस्थानी लोक कथा, लोक गीत एवं नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड, लोक नाट्य, लोक वाद्य एवं कठपुतली कला।
9. विभिन्न जातियां – जन जातियां।
10. स्त्री – पुरूषों के वस्त्र एवं आभूषण।
11. चित्रकारी एवं हस्तशिल्पकला – चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, प्रस्तर शिल्प, काष्ठ कला, मृदमाण्ड (मिट्टी) कला, उस्ता कला, हस्त औजार, नमदे–गलीचे आदि।
12. स्थापत्य – दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावडियां, तालाब, मंदिर–मस्जिद आदि।
13. संस्कार एवं रीति रिवाज।
14. धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल।

भाग – III (पूर्णांक 240)

प्रश्नों की संख्या : 60

(1) शस्य विज्ञान

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी का सामान्य ज्ञान। राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व। राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाऐं। राजस्थान के जलवायुवीय खण्ड, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। क्षारीय एवं उसर भूमियां, अम्लीय भूमि एवं इनका प्रबन्धन।

राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, मृदा क्षरण, जल एवं मृदा संरक्षण के तरीके, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, उपलब्धता एवं स्त्रोत, राजस्थानी भाषा में परम्परागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली। जीवांश खादों का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां तथा नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल, मिश्रित एवं योगिक उर्वरक एवं उनके प्रयोग की विधियां। फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व, सिंचाई के स्त्रोत, फसलों की जल मांग एवं प्रभावित करने वाले कारक। सिंचाई की विधियां – विशेषतः फव्वारा, बून्द–बून्द, रेनगन आदि। सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा। जल निकास एवं इसका महत्व, जल निकास की विधियां। राजस्थान के संदर्भ में परम्परागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली। मृदा परीक्षण एवं समस्याग्रस्त मृदाओं का सुधार। साईजेल, हे–मेकिंग।

खरपतवार – विशेषताऐं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की विधियां, राजस्थान की मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों से खरपतवार नियंत्रण। खरतपवारों की राजस्थानी भाषा में शब्दावली।

निम्न मुख्य फसलो के लिए जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी, किस्में, बीज उपचार, बीज दर, बुवाई समय, उर्वरक, सिंचाई, अन्तराशस्यन, पौध संरक्षण, कटाई–मढाई, भण्डारण एवं फसल चक्र की जानकारी –

अनाज वाली फसले – मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं एवं जौ।

दाले – मूंग, चॅवला, मसूर, उडद, मोठ, चना एवं मटर।

तिलहनी फसले – मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरण्डी, सूरजमुखी एवं तारामीरा।

रेशेदार फसले – कपास।

चारे वाली फसले – बरसीम, रिजका एवं जई।

मसाले वाली फसले – सौंफ, मैथी, जीरा एवं धनिया।

नकदी फसले – ग्वार एवं गन्ना।

उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केन्द्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणित बीज।

शुष्क खेती – महत्व, शुष्क खेती की तकनीकी। मिश्रित फसल, इसके प्रकार एवं महत्व। फसल चक्र – महत्व एवं सिद्धान्त। राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी। अनाज एवं बीज का भण्डारण।

(2) उद्यानिकी

उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य। फलदार पौधों की नर्सरी प्रबन्धन। पादप प्रवर्धन, पौध रोपण। फलोद्यान के स्थान का चुनाव एवं योजना। उद्यान लगाने की विभिन्न रेखांकन विधियां। पाला, लू एवं अफलन जैसी मौसम की विपरीत परिस्थितियां एवं इनका समाधान। फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग। सब्जी उत्पादन की विधियां एवं सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबन्धन।

राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रवर्धन विधियां, जीवांश खाद व उर्वरक, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारियां एवं इनका नियंत्रण सहित निम्न उद्यानिकी फसलों की जानकारी – आम, नीम्बू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसूवा, बील, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिण्डी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसून, मटर, गाजर, मूली, पालक। फल एवं सब्जी परीरक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, फल परीरक्षण के सिद्धान्त एवं विधियां। डिब्बाबन्दी, सुखाना एवं निर्जलीकरण की तकनीक व राजस्थान में इनकी परम्परागत विधियां। फलपाक (जैम), अवलेह (जेली), केन्डी, शर्बत, पानक (स्क्वेश) आदि को बनाने की विधियां।

औषधीय पौधों व फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान। राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं।

(3) पशुपालन

पशुपालन का कृषि में महत्व। पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व एवं प्रबन्धन। निम्न पशुधन नस्लो की विशेषताऐं, उपयोगिता व उत्पति स्थान का सामान्य ज्ञान :–

गाय – गीर, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टन फ्रिजीयन, मालवी, हरियाणा, मेवाती।

भैंस – मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफरवादी, मेहसाना।

बकरी – जमनापारी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग।

भेड़ – मारवाडी, चोकला, मालपुरा, मेरीनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र, अविकालीन।

ऊंट प्रबन्धन, पशुओं की आयु गणना।

सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा तथा दवाईयां देने का तरीका।

जीवाणुरोधक – फिनाईल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमेगनेट (लाल दवा), लाईसोल

विरेचक – मेगनेशियम सल्फेट (मैकसल्फ), अरण्डी का तेल।

उत्तेजक – एल्कोहल, कपूर।

कृमिनाशक – नीला थोथा, फिनोविस।

मर्दन तेल – तारपीन का तेल।

राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार – पशु–प्लेग, खुरपका–मुंहपका, लगड़ी, एन्थ्रेक्स, गलघोटूं, थनेला रोग, दुग्ध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनीपेचिस।

दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एवं खीस संघटन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध परिरक्षण, दुग्ध परीक्षण एवं गुणवत्ता। दुग्ध में वसा को ज्ञात करना, आपेक्षित घनत्व, अम्लता तथा क्रीम पृथक्करण की विधि तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर व घी बनाने की विधि। दुग्धशाला के बरतनों की सफाई एवं जीवाणु रहित करना। राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली।

प्रश्न पत्र का पेटर्न

1. वैकल्पिक प्रकार का प्रश्न पत्र होगा।
2. अधिकतम पूर्णांक 400 अंक होगा।
3. प्रश्नों की संख्या 100 होगी, जिसमें कोई भी प्रश्न किसी भी भाग से हो सकता है।
4. प्रश्न पत्र की अवधि 2 घन्टे होगी।
5. प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होगें।
6. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जायेगा।

(अनिल कुमार चपलोत)
निदेशक कृषि
राज0 जयपुर